

6/12/10
 10/12/10

आयुक्त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

-= सरवरक =-

(कायदा 129)

[General Rules (Civil), Rule 129, Appendix 'B' Form No. 8]

2006/00003
 19/3
 25/3
 22/4

8/7
 18/7
 13/9

नाम अदालत	द्वारा प्रस्तावित (B) मुकदमा	2006/00003	13/9
किसम मुकदमा	व्यक्तिगत धारण-88-188 टावर		
अवगत मुकदमा	222/2006		11/10
नम्बर व तारीख मुकदमा	20/10/2006		13/12
तारीख दायत			2/1
तारीख फैसला	5/6/2010		6/2
तारीख दाखिल होने मुहकमिखाना			21/2
अदालत या निपटानी की तारीख फैसला			12/3
किसम मिसल या हिस्सा			27/3
किसम रेकार्ड			9/4
(अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ करना है			7/5
(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ किया गया			14/5
(अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ करना है			2/7
(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ किया गया			7/9
(अ) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ करना है			10/9
(ब) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ किया गया			24/9
(अ) तारीख जिस पर कि भाग 'ए' तलफ करना है			5/11
(ब) तारीख जिस पर कि भाग 'ए' तलफ किया गया			26/11

27/5
 7/7
 29/7
 19/8
 19/8
 21/10
 21/10
 13/11
 24/12
 21/14
 20/15

कॉपी तलफ
 20/10/2006

या कोर्ट के अन्दर

की नौबत मुकदमा
 की नौबत मुकदमा (अनु-6)

कार्य
क्रम

द्वय या कार्यवाही मय इतिहास जज

5/6/2017

पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प कोर्ट
आगुवों पर पेश हुई। वादी श्री पारसनाथ स्थान
देह पुजारी श्री राजेन्द्र प्रसाद उपस्थित है। जिसे
द्वारा ध्यान दिया गया कि वह प्रकरण में आगे कोई
कार्यवाही नहीं करवाना चाहता है। अन्त में ध्यान
दिया कि प्रकरण की कार्यवाही धन्द फरमाई जावे।

में उपस्थित वादी पुजारी को सुना।
चुकि: वादी पुजारी ने प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही
नहीं करवाना आज मेरे समक्ष जाहिर किया है।

उपस्थित वादी पुजारी की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत
आगुवों के द्वारा की जाने से इस प्रकरण की कार्यवाही
असो स्टेज पर धन्द की जाती है। पत्रावली शुमार
फैशल होकर दाखिल दफ्तर करे। आदेश आज
दिनांक 5/6/2017 को जज लोक अदालत कैम्प
कोर्ट आगुवों पर सुनाया गया।

महायक कैलेक्टर
(D. U.) गुलाबपुरा
जिला-धरमपुरा

